



2026: AHC: 22038-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

जनहित याचिका संख्या - 4035 वर्ष 2025

लाल बहादुरयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता: कंचन, सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जगदीश पाठक (एस.सी.), सत्यव्रत सहाय, विभु राय

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. कथित तौर पर जनहित में यह याचिका, याची द्वारा मोहल्ला कृष्ण नगर, कीडगंज, प्रयागराज में स्थित सार्वजनिक मार्ग पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि सरसरी प्रतिवेदन और आईजीआरएस में किए गए एक संकेत, कि किसी भी सड़क के अभाव और उसकी चौड़ाई के बारे में स्पष्टता न होने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता है, के अलावा याचिका में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए या यह दावा करने के लिए कि प्रतिवादी संख्या 4 प्रश्नगत सड़क पर अतिक्रमण कर रहा है, रिकॉर्ड पर नाम मात्र की भी कोई सामग्री नहीं रखी गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. मामले के उस परिप्रेक्ष्य में, रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव के कारण, याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। अतः, इसे खारिज किया जाता है।

फरवरी 2, 2026

आर.के./एस.एल.

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"